

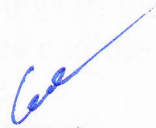
**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in *Devprayag* Block area measuring 1.429 Hectares for the construction of *Aamani to Gadakot Motor Road* in Tehsil *Devprayag* of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommend by the Sub Division Level Committee of *Kirtinagar* Sub Division where discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place:- Tehri
Date-


(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

District Collector cum Chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

प्रारूप सं० 30

FORM - I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. /

Dated ..18.10.2016...

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.629 hact.** of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Works Department, Kirtiagar** for **Construction of Aamni to Garakot Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of Villages in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

- a) the complete process for identification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **23** to annexure 23.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(इन्दुधर बौड़ार्ड)

जिला अधिकारी

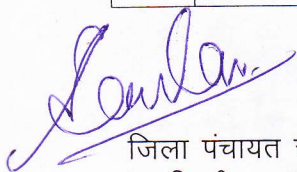
(टिहरी गढ़वाल)

Distt. Collector

It is further certified that-

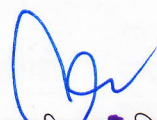
Minutes of meeting of *Aamani to Gadakot* Motor Road (8.00 Km) regarding FRA is as following

Sl. No		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1629 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s). Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee is enclosed as annexure ----- to ----- annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Division of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road as attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.



जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल
सदस्य
जिला पंचायत
39 आमणी - पलेठी बनगा
(विकास खण्ड - देवप्रगा)
टिहरी गढ़वाल, उत्तर


जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समीक्षा अधिकारी
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर


जिला समाज कल्याण अधिकारी
नरेन्द्रनगर, जिला गढ़वाल
दि. 01.07.2021


(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रारूप सं० — 1.90

भू-अर्जन प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम —

तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :-

जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 8.00 कि०मी०)।

स्वीकृति सन्दर्भ :-

549 / 111(2) / 14-49(प्रा०आ०) / 2013 दिनांक 29.01.2014

विधान सभा देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग 8.00 कि०मी० हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष गांव वालों की सहमति पर ही 8.00 कि०मी० लम्बाई हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

प्रखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिये 0.675 है० आरक्षित वन भूमि, 0.954 है० सिविल वन भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.629 है० का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकी नाप भूमि 5.571 है० ग्राम पंचायत आमणी, गड़ाकोट के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

सहायक अभियन्ता
अ० ख० लो० नि० कि० श्रीनगर
कीर्तिनगर

अ.अ. श्रीनगर

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

21-03-2014
तहसील देवप्रयाग
जिला टिहरी गढ़वाल

तहसीलदार
देवप्रयाग, टि० ग०

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम :- जनपद रिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत आमनी से गडाकोटे तक मोरवा मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) लम्बाई 8.00 कि.मी

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत आमनी से गडाकोटे तक मोरवा मार्ग (प्रथम चरण) (0.675 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.954 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.620 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.249 हे० वन भूमि) का लो० नि० कि० कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक 12/8/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के० के सिन्हा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री के० के सिन्हा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री डी० पी० बलानी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री प्रबोद कुमार उन्नायक	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव
4-	श्रीमति कंचन फोहाने	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य कंचन फोहाने

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि आमनी से गडाकोटे तक मोरवा मार्ग निर्माण परियोजना हेतु 3.249 हे० वन भूमि लो० नि० कि० कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मांगला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिरीरेती नरेन्द्रबाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्तिनागर परिक्षेत्र के अन्तर्गत आमठी से गाडाकोट तक मोर माता (प्रथम चरण) परियोजना के निर्माण हेतु है0 वन भूमि लोचनिगवि-कीर्तिनागर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

18/12/2014
उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- विपयगा
जनपद रिहरी गढवाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, रिहरी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

18/12/2014
उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- विपयगा
जनपद रिहरी गढवाल

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र देव प्रयाग के अन्तर्गत आभवा से गढ़ाकोट तक मोटे मार्ग निर्माण (प्रथम चरण) लम्बाई 8.00 किमी.

दिनांक 12.8.2016 को उप खण्ड समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद टिहरी गढ़वाल

1	डी.के.के. मिश्रा कुठण कुमर मिश्रा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	78 उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर, दि. 8.
2	डी.पी. वल्लोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3	विनोद कुमार उन्नीष	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	मि. फा. 16
4	श्रीमती कंचन चौहान	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य	कंचन चौहान

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

क्षेत्र वन्यायत एवं भिक्षा कोट
क्षेत्र समिति देवप्रयाग
टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

प्रपत्र-20 30.3

परियोजना का नाम :- जनपद दिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत आमनी से गड़ानोटे तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) लम्बाई 8.00 कि.मी.

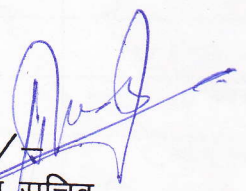
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम आमनी
तहसील देवप्रयाग, जिला दिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद दिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत आमनी से गड़ानोटे तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.675 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.954 हे० सिविल सोयम भूमि, लोच नि० बि० कीर्तिगढ़ हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.629 हे० वन भूमि का लोच नि० बि० कीर्तिगढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत आमनी द्वारा दिनांक 15-06-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। • उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम आमनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोच नि० बि० कीर्तिगढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/ 
ग्राम सचिव


ह०/ देवप्रयाग दिहरी गढ़वाल
ग्राम प्रधान

नोट :- • यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-20. 30. 4

दिनांक 15-06-2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत आमणी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	शशि प्रकाश मठ	Shashi
	दादिका मल्ल	PPM
	चिन्तामणी	Chintamani
	रामस्वरूप मठ	Ramswarup
	कोसन लाल	Koson Lal
	जगदम्बा प्रसाद मठ	Jagadamba
	शिवानन्द मठ	Shivannand
	देवाकर प्रसाद मठ	Devakar
	लीला देवी	Lila Devi
	हरिश्चन्द्र	Harishchandra
	सुन्दर लाल	Sunder Lal
	वारेन्द्र मठ	Varind
	मरणा मठ	Marana
	जितेन्द्र प्रसाद मठ	Jitendra
	विजय मठ	Vijay
	हरिश्चन्द्र	Harishchandra
	शंकुलाल देवी	Shankulal Devi
	कुदिलाल	Kudilal
	दुर्गा प्रसाद मठ	Durga
	राजेश्वर प्रसाद मठ	Rajeshwar
	चन्द्रमोहन	Chandramohan
	रिवला देवी	Rivla Devi
	विजय लक्ष्मी	Vijay Lakshmi
	शक्ति प्रसाद मठ	Shakti

ह0/-

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) लम्बाई 8.00 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत/ग्राम का नाम - गड़ाकोट
तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

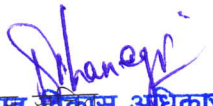
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड देवप्रयाग में आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण की परियोजना के निर्माण हेतु (0.675 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.954 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.629 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

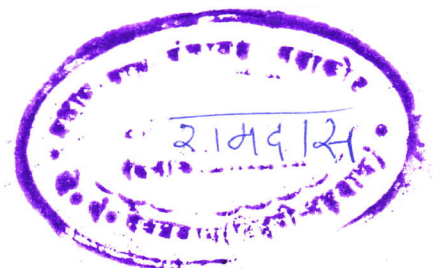
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गड़ाकोट द्वारा दिनांक 15.06.2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गड़ाकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


पंचायत विकास अधिकारी
पंचायत गड़ाकोट
विकास खण्ड देवप्रयाग
जनपद टिहरी गढ़वाल

ग्राम प्रधान



दिनांक 15.06.2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत/ग्राम का नाम - गड़ाकोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	महीपाल सिंह	महीपाल सिंह
	चन्दन दास	चन्दन दास
	शिव सिंह	शिव सिंह
	अनिल कुलवाल	अनिल कुलवाल
	सतपाल सिंह	सतपाल सिंह
	हुकम सिंह	हुकम सिंह
	कमाल सिंह	कमाल सिंह
	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
	जगदीश सिंह	जगदीश सिंह
	ज्ञान सिंह	ज्ञान सिंह
	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
	सूरत सिंह	सूरत सिंह
	कृष्ण सिंह	कृष्ण सिंह
	गोविन्द दास	गोविन्द दास
	विष्णु सिंह	विष्णु सिंह

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास खण्ड
जुनागढ़

३० / -

ग्राम प्रधान

2149/21

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजस्व शासक लिमिटी ग्राम -
पंचायत आसमणी के अन्तर्गत ही आता है। तथा लिमिटी
गाँव द्वारा पट्टे की अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत
आसमणी के द्वारा दिया गया है जो कि आसमणी-गड़करो
मोटर मार्ग से सम्बन्धित है।

